संख्या-54/2024/001-868-12-5099-17-2024

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2024**

विषयः- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सोलर/313/पीएम-कुसुम/2024-25, दिनांक 06.08.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 113-कृषि इंजीनियरी, 8903-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 44945.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में रू० 10024.50 लाख (रूपये एक अरब चौबीस लाख पचास हजार मात्र) राज्यांश की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।
2. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
6. ऑकडो की शुद्वता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं क्रय के संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 एवं इस संबंध में समय-सयम पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2401001138903 (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	011	2401001138903 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम.कुसुम) योजना	04 यात्रा व्यय	1,50,000 (रूपये एक लाख पचार हजार मात्र)
2	011	2401001138903 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम.कुसुम) योजना	08 कार्यालय व्यय	2,50,000 (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र)
3	011	2401001138903 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम.कुसुम) योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50,000 (रूपये पचास हजार मात्र)
4	011	2401001138903 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम.कुसुम) योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रूपये पांच लाख मात्र)
5	011	2401001138903 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा	19 विज्ञापन, बिक्री	7,50,000 (रूपये सात लाख पचास

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम.कुसुम) योजना	और विख्यापन व्यय	हजार मात्र)
6	011	2401001138903 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम.कुसुम) योजना	27 सब्सिडी	1,00,00,00,000 (रुपये एक अरब मात्र)
7	011	2401001138903 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम.कुसुम) योजना	42 अन्य व्यय	7,50,000 (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**1,00,24,50,000 (रूपये एक अरब चौबीस लाख पचास हजार मात्र)**
महायोग				1,00,24,50, 000 (रुपये एक अरब चौबीस लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-131-X-2024-25, दिनांक 30.08.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या-54/2024/001-868-12-5099-17-2024, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर कृषि निदेशक (तिलहन एवं दलहन) / नोडल अधिकारी (पी0एम0कुसुम), कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।